

संख्या-ई-3799577/60-3-2025-सी-1938346

प्रेषक,

लीना जौहरी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 26 दिसम्बर, 2025

विषय:- "मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना" के अधिक प्रभावी संचालन हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया,

महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। "मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना" का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इस सम्बन्ध में "मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना" के अधिक प्रभावी संचालन हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं:-

(1) योजना के वेब पोर्टल पर अक्टूबर, 2022 से आधार अथेन्टिकेशन किया जा रहा है, जिसमें योजना की श्रेणी 01 व 02 के लिए माता व पिता तथा श्रेणी 03, 04, 05 व 06 के लिए माता-पिता के साथ-साथ बालिका के आधार का भी डेमोग्राफिक अथेन्टिकेशन किया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में आधार के डेमोग्राफिक अथेन्टिकेशन के साथ-साथ ओ0टी0पी0 के माध्यम से भी अथेन्टिकेशन किया जाये। योजना के पोर्टल पर माता/पिता द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। माता व पिता दोनों के जीवित न रहने की दशा में ही अभिभावक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। बालिका के बालिग होने की दशा में उसके द्वारा स्वयं मात्र श्रेणी-6 के लिये ही आवेदन किया जा सकेगा। आवेदकों द्वारा पिता/माता को मृत दिखाने की

स्थिति में पिता/माता का तथा अभिभावक द्वारा आवेदन भर जाने का स्थिति में माता-पिता दोनों का 'मृत्यु प्रमाण-पत्र संख्या' पोर्टल पर फीड कराते हुए उसका वेलिडेशन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के पोर्टल से ए0पी0आई0 इंटीग्रेशन के माध्यम से किया जाये। ए0पी0आई0 इंटीग्रेशन पूर्ण होने तक माता/पिता/दोनों का मृत्यु प्रमाण-पत्र अपलोड कराया जाये।

(2) मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के आवेदन पत्रों की भौतिक व स्थलीय सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है, परन्तु कतिपय प्रकरणों में उक्त सत्यापनकर्ता अधिकारियों द्वारा भलीभांति सत्यापन के बिना ही सत्यापन आख्या वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है।

उक्त के क्रम में खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा गुणवत्तापूर्ण सत्यापन सुनिश्चित कराने के लिए सत्यापन हेतु 30 दिनों का समय प्रदान किया जाये, जिससे त्रुटिपूर्ण सत्यापन की सम्भावना को निवारित किया जा सकेगा। खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरान्त स्वीकृत हेतु जनपद स्तर पर अग्रसारित सभी आवेदन पत्रों का परीक्षण व अभिलेखों की जाँच जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा अपूर्ण/असंगत/त्रुटिपूर्ण अभिलेखों वाले/अपात्र आवेदन पत्रों को निरस्त किया जायेगा।

उक्त के क्रम में खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरान्त स्वीकृत हेतु जनपद स्तर पर अग्रसारित आवेदन पत्रों को जिला स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व संबंधित जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत आवेदन पत्रों का रैंडम पुनः सत्यापन कराया जायेगा। रैंडम पुनः सत्यापन हेतु सूची पोर्टल द्वारा जनरेट की जायेगी। उक्त समिति के समक्ष आवेदन पत्रों को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में इनके द्वारा 10 प्रतिशत आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जा चुका है। रैंडम सत्यापन में जिन क्षेत्रीय सत्यापनकर्ता अधिकारियों द्वारा किया गया सत्यापन त्रुटिपूर्ण/गलत पाया जायेगा, उनकी आख्या संबंधित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उक्त रैंडम पुनः सत्यापन हेतु 15 दिनों का अतिरिक्त समय जिला प्रोबेशन अधिकारियों को प्रदान किया जायेगा। मंडलीय उप मुख्य परिवीक्षाधिकारियों द्वारा भी अपने जनपदीय भ्रमण में योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर

चुके कातपय लाभाथया का सत्यापन किया जाय।

(3) मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का संचालन वेबपोर्टल <https://mkysy.up.gov.in/> के माध्यम से किया जाता है। वेबपोर्टल पर योजना संचालन संबंधी कार्यों के सम्पादन हेतु जनपद स्तर पर कम्प्यूटर सेवाओं की आवश्यकता होती है। अतः इस हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारियों को कम्प्यूटर संबंधी सेवाएं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त करने के लिए बजट धनराशि का आवंटन योजना के प्रशासनिक मद से नियमितरूप से किया जायेगा।

(4) उक्त योजना के संचालन की वर्तमान प्रक्रिया में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये माता-पिता या बालिका के स्वयं के बैंक खाता में योजना धनराशि प्रेषित किये जाने की व्यवस्था है, जिसमें आवेदक द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में बैंक खाता अंकित करते समय यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि बैंक खाता किस व्यक्ति का है।

उक्त के क्रम में निराश्रित महिला पेन्शन योजना की भांति योजना धनराशि अंतरित किये जाने वाले व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्तमान में 'अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम' के स्थान पर 'आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम' लागू किया जाये। योजना का लाभ सर्वप्रथम माता को 'आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम' के माध्यम से किया जायेगा। माता के बैंक खाते का आधार से NPCI Mapping न होने तथा पिता के बैंक खाते का आधार से NPCI Mapping होने की दशा में 'आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम' द्वारा योजना धनराशि का भुगतान किया जायेगा। माता व पिता दोनों के बैंक खाते का आधार से NPCI Mapping न होने की दशा में माता द्वारा अपने बैंक खाते का आधार से NPCI Mapping करायी जायेगी तथा तत्पश्चात् माता को 'आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम' द्वारा योजना धनराशि का भुगतान किया जायेगा। बालिका के बालिग होने की दशा में उसके द्वारा स्वयं श्रेणी 6 के लिये आवेदन किये जाने की स्थिति में बालिका को 'आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम' द्वारा योजना धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) योजना के वेब पोर्टल पर अक्टूबर, 2022 से आधार अथेन्टिकेशन किया जा रहा है, जिसमें योजना की श्रेणी-01 व 02 के लिए माता व पिता तथा श्रेणी-03, 04, 05 व 06 के लिए माता-पिता के साथ-साथ बालिका के आधार का भी डेमोग्राफिक अथेन्टिकेशन किया जा रहा है। साथ ही श्रेणी-03 (कक्षा-01) व श्रेणी-04 (कक्षा-06) के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं का यूनीक आईडी0 भी लिया जाता है, जिससे बालिका के कक्षा-01 व कक्षा-06 में प्रवेश को सत्यापित किया जाता है। इस प्रकार श्रेणी-02 को छोड़कर सभी 05 श्रेणियों में दोहराव रोकने के लिए विशिष्ट संख्या पोर्टल पर

उपलब्ध है।

उक्त के क्रम में श्रेणी-02 के लिए विशिष्ट संख्या के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र का उपयोग दोहराव रोकने के लिए किया जाये। साथ ही जन्म प्रमाण-पत्र/आधार/बेसिक शिक्षा विभाग की यूनिक आई0डी0 से प्राप्त बालिका की जन्म तिथि के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरान्त ही उस श्रेणी का फार्म इनेबिल करने की व्यवस्था पोर्टल पर की जाये तथा श्रेणी-03, 04, 05 व 06 के आवेदन पत्रों में स्कूल का 'यू-डायस संख्या, बालिका का यूनिक आई0डी0' अनिवार्य रूप से लिया जाय तथा वैकल्पिक रूप से 'अपार आई0डी0' भी अंकित करायी जाय।

(6) योजना के वेब पोर्टल पर प्रत्येक श्रेणी में आवेदन करने के लिए आयु सीमा निर्धारित है। कतिपय श्रेणियों के लिए निर्धारित इस आयु सीमा में ओवरलैपिंग है, जिसके कारण कतिपय आवेदक वर्तमान समय में एक साथ दो श्रेणियों में आवेदन कर सकता है।

उक्त ओवरलैपिंग का हटाने के लिए योजना के वेबपोर्टल पर प्रत्येक श्रेणी में आवेदन करने के लिए आयु सीमा निम्नवत् निर्धारित किया जाना है:-

क्र0सं0	श्रेणी	पुनर्निर्धारित आयु सीमा
1	श्रेणी-01 (जन्म पर)	01 वर्ष के भीतर
2	श्रेणी-02 (एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त)	01 से 02 वर्ष तक
3	श्रेणी-03 (बालिका के कक्षा- 01 में प्रवेश के उपरान्त)	05 से 08 वर्ष तक
4	श्रेणी-04 (कक्षा-06 में प्रवेश के उपरान्त)	10 से 13 वर्ष तक
5	श्रेणी-05 (कक्षा-09 में प्रवेश के उपरान्त)	14 से 15 वर्ष 364 दिन तक
6	श्रेणी-06 (कक्षा 10/12 वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश)	कक्षा 10 उत्तीर्ण 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश-16 वर्ष अर्थात् 15 वर्ष 365 दिन से 17 वर्ष तक 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक में प्रवेश-18-20 वर्ष तक

(7) पी0एफ0एम0एस0 से बैंक खाते से संबंधित किसी त्रुटि यथा त्रुटिपूर्ण खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड या खाता बंद या डारमेंट आदि कारणों से रिजेक्टेड डाटा जिला प्रोबेशन अधिकारी के लागिन पर बैंक खाते के विवरण में संशोधन (रिकंसिड्रेशन) हेतु भेजा

जाता है। एन0आई0सी0 के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि रिकॉसिडेशन का उक्त प्रक्रिया के कारण पोर्टल के प्रोसेस फ्लो में कतिपय समस्याएं परिलक्षित हो रही हैं साथ ही लाभार्थी से भिन्न किसी अन्य में व्यक्ति के खाते को अपडेट करने की सम्भावना भी रहती है। उक्त के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि रिकॉसिडेशन की प्रक्रिया को रोक दिया जाये तथा पी0एफ0एम0एस0 के रिजेक्टेड आवेदन पत्रों को पुनः सही बैंक खाते के साथ नया आवेदन करने का विकल्प दिया जाये। आधार बेस्ड सिस्टम लागू होने के पश्चात पी0एफ0एम0एस0 से डेटा रिजेक्ट होने के कारण होने वाले रिकॉसिडेशन की आवश्यकता नहीं होगी।

(8) जनसामान्य को योजना की सही जानकारी प्रदान करने, उनकी समस्याओं का समाधान करने तथा जनसामान्य के लिए योजना के लाभ प्राप्त करने को और अधिक सहज व सरल बनाने के लिए निदेशालय स्तर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक हेल्पडेस्क/कॉल सेन्टर स्थापित किया जाना जाय, जो कि दूरभाष के माध्यम से जनसामान्य को योजना व उसके वेब पोर्टल से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करेगा, आवेदकों को योजना का लाभ प्राप्त करने में आ रही समस्या का समाधान करेगा, क्षेत्रीय अधिकारियों को वेब पोर्टल के संचालन में आ रही समस्या का समाधान एन0आई0सी0 की तकनीकी टीम के माध्यम से करवाना आदि कार्य करेगी। इस हेतु मानव संसाधन सम्बन्धी सेवायें की आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जायेंगी तथा इसके संचालन में आने वाला व्यय योजना के प्रशासनिक व्यय से किया जायेगा।

(9) वेब पोर्टल की समीक्षा तथा उसमें यथावश्यक संशोधन/परिवर्धन के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए निदेशक, महिला कल्याण की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति गठित की जा रही है , जिससे वेब पोर्टल पर आवश्यकता अनुरूप संशोधन/परिवर्धन नियमित रूप से की जा सके:-

1-	निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0	-	अध्यक्ष
2-	योजना के वेब पोर्टल के संचालन हेतु प्रभारी एन0आई0सी0 अधिकारी	-	सदस्य
3-	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0	-	सदस्य
4-	निदेशक, महिला कल्याण द्वारा नामित 01 मंडलीय उप मुख्य परिवीक्षाधिकारी	-	सदस्य
5-	निदेशक, महिला कल्याण द्वारा नामित 02 जिला प्रोबेशन अधिकारी	-	सदस्य
6-	संबंधित योजनाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण	-	सदस्य सचिव

2- इस सबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त दिशा निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

Digitally signed by
LEENA JOHRI

Date: 26-12-2025

(लीना जोहरी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बालविकास एवं पुष्ताहार/ग्राम्य विकास/नगर विकास/बेसिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/वित्त/कार्मिक एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/ जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त उप मुख्य परीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला परीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वेब मास्टर, महिला कल्याण निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि कृपया "मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना" के अधिक प्रभावी संचालन हेतु दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SUDHA VERMA

Date: 26-12-2025

11:57:29